



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21112020-223231
CG-DL-W-21112020-223231

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2020, शनिवार/ कार्तिक 17—कार्तिक 23, 1942
No. 42] NEW DELHI, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2020, SATURDAY/KARTIKA 17—KARTIKA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2020

का.आ. 993.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री दिनेश कुमार खारा (जन्म तिथि: 28.8.1961) को दिनांक 7.10.2020 को अथवा उसके पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2020-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 6th October, 2020

S.O. 993.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Shri Dinesh Kumar Khara (date of birth: 28.8.1961), Managing Director, State Bank of India as Chairman, State Bank of India for a period of three years with effect from the date of his taking over charge of the post on or after 7.10.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2020-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2020

का.आ. 994.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री एम. राजेश्वर राव (जन्म तिथि 28.4.1961) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/1/2011-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 8th October, 2020

S.O. 994.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, read with sub-section (4) of section 8 thereof, the Central Government hereby appoints Shri M. Rajeshwar Rao (date of birth: 28.4.1961), Executive Director, Reserve Bank of India as Deputy Governor, Reserve Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/1/2011-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2020

का.आ. 995.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, दिनांक 8.10.2020 को समाप्त हो रहे श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, इण्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यकाल को दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 10th October, 2020

S.O. 995.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby extends the term of office of Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director, Indian

Overseas Bank for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on 8.10.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2017-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2020

का.आ. 996.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, दिनांक 18.2.2021 को समाप्त हो रहे श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक के कार्यकाल को दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 10th October, 2020

S.O. 996.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby extends the term of office of Shri Debashish Mukherjee, Executive Director, Canara Bank for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on 18.2.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2017-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2020

का.आ. 997.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, दिनांक 8.10.2020 को समाप्त हो रहे श्री मातम वेंकट राव, कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक के कार्यकाल को दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 10th October, 2020

S.O. 997.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby extends the term of office of Shri Matam Venkata Rao, Executive Director, Canara Bank for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on 8.10.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2017-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.